

डिक्री समुकदमें इत्तादाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण:-

1. प्रभुलाल पुत्र अमराराम जी
जाति प्रजापत उम 40
वर्ष निवासी देवरिया
तहसील जैतारण
जिला-ब्यावर राजस्थान

1. माधुराम पुत्र अमराराम जी
2. नरेश पुत्र अमराराम जी
3. रेखा पुत्री अमराराम जी
4. परकी पुत्री अमराराम जी
5. माडकी पत्नी अमराराम जी जातियान
प्रजापत निवासीगण देवरिया तहसील
जैतारण जिला ब्यावर
6. तहसीलदार जी जैतारण तहसील
कार्यालय जैतारण जिला-ब्यावर
मु0न0 :रा0वा0स0- 08/2021


राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुख्दई व अधिवक्ता चंदनसिंह गोयल अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुख्दायलाह व सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण, पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण में खसरा संख्या 326 रकबा 1.7887 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा संख्या 336 रकबा 0.9793 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम आई हुई है, के भू-अभिलेख में अंकित "पप्पुराम पुत्र अमराराम" को विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि "प्रभुलाल पुत्र अमराराम" को दर्ज करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार जैतारण इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुख्दई	रूपये	पैसे	मुख्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	2.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	5.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।